फर्द अहकाम

राजस्व - पत्रावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला–राजसमन्द

7 सन् 2019 किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा

मोहनलाल बनाम राजस्थान राज्य

आदेशिका	हस्त
पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 25-11-19 को पेश हो।	
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित हो। तहसीलदार कुम्भलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार कुम्भलगढ़ की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा मांग किये गये रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है प्रार्थी द्वारा इस चाहे गये रास्ते के अलावा और वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रस्तावित रास्ते पर कोई फसल, पेड़ पौधे नहीं हैं प्रस्तावित रास्ता सड़क से मिलता है। अतः रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने से प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जेतारण पटवार मण्डल पीपाणा की आराजी नम्बर 1555/108 खा. नं. 114 रकबा 1-00-00 बीघा भूमि में आने-जाने हेतु ग्राम जैतारण की बिलानाम गै. मु. भूमि आराजी नम्बर 1403/108 में से रकबा 0-01-02 अर्थात 1260 वर्गफीट भूमि (जिसकी लम्बाई 42 फीट व चौड़ाई 30 फीट) की कीमत (D.L.C. दर की दुगुनी) मद 0029-00-105-01-00 में जमा कराने पर ग्राम जेतारण की उक्त आराजी नम्बर 1403/108 में से रकबा 0-01-02 बीघा भूमि किस्म रास्ता अंकन करने का आदेश दिया जाता है जिसका प्रयोग सार्वजनिक होगा। तदनुसार पालना हेतु पृथक से आदेश जारी किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले	